

## आपराधिक जनजात अधिनियम- एक दुर्भाग्यपूर्ण वरिसत

### पृष्ठभूमि

- 1932 में एक ब्रिटिश सैन्य अधिकारी लेफ्टनैंट जनरल सर जॉर्ज मैकमुन ने अपनी कृति 'द अंडरवर्ल्ड ऑफ इंडिया' में लिखा- "वे एकदम मैले-कुचैले, समाज की गन्दगी और कसिी खेत में घास चर रहे पशुओं के समान हैं"। दरअसल, मैकमुन अपनी कृति में जनि लोगों को संबोधित कर रहा था, ये वो लोग थे जिन्हें ब्रिटिश सरकार ने कुख्यात 'आपराधिक जनजात अधिनियम, 1871' के ज़रिये 'आपराधिक जनजात' घोषित कर दिया था।
- 1871 में बने इस अधिनियम में समय-समय पर संशोधन किये गए और धीरे-धीरे लगभग 150 से भी अधिक जनजातियों को इसके तहत अपराधी घोषित कर दिया गया। पुलिस में भरती होने वाले जवानों को यह सखियाया जाने लगा किये जनजातियों पारंपरिक रूप से आपराधिक प्रकृति की रही हैं।
- इसका नतीजा यह हुआ कि इन जनजातियों के लोग देश में जहाँ कहीं भी रह रहे थे, उन्हें अपराधियों के तौर पर देखा जाने लगा और पुलिस को उनका शोषण करने की अपार शक्तियाँ दे दी गईं।
- साथ ही, देश भर में लगभग 50 ऐसी बस्तियाँ भी बनाई गईं जिनमें इन जनजातियों के परिवारों को बलिकुल जेल की तरह से कैद कर दिया गया। इन बस्तियों की चारदीवारी के बाहर पुलिस का पहरा रहने लगा और बस्ती के हर सदस्य को बाहर जाने और वापस लौटने पर पुलिस को सूचित करना पड़ता था।
- वस्तुतः इस अधिनियम के ज़रिये पुलिस को इन जनजातियों को गरिफ्तार करने, इनका शोषण करने और इनकी हत्या तक करने की असीम शक्तियाँ दे दी गई थीं। इस से ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण और कुछ नहीं हो सकता कि कसिी बच्चे को जन्म से ही अपराधी मान लिया जाए क्योंकि सरकार का कोई बेहूदा कानून उसके परिवार को पहले से ही अपराधी मानता है।
- हालाँकि, स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरान्त इस विषय पर कई आयोगों एवं समितियों की स्थापना की गई, लेकिन इस सन्दर्भ में सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है अयंगर समिति, जिसकी सिफारिशों के पश्चात 1952 में 'आपराधिक जनजात अधिनियम' को नरिस्त कर दिया गया।

### स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की समस्याएँ

- 1952 के बाद इन जनजातियों को अपराधी मानने वाला कानून तो बदल गया लेकिन समाज और व्यवस्था का नज़रिया आज भी इनके प्रति वैसा ही बना हुआ है। विशेष तौर पर बावरिया, भांतु, कंजर, सांसी, छारा और पारधी तो इनमें से ऐसी जनजातियाँ जिन्हें आज भी इस 'आपराधिक' छाप की सबसे ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ रही है।
- लगभग 180 सालों तक देश की व्यवस्था ने इन जनजातियों को कानूनी तौर पर जन्मजात अपराधी माना है। इसके चलते धीरे-धीरे समाज में भी इन जनजातियों की पहचान अपराधियों के रूप में ही स्थापित होती चली गई।
- समाज में इनहें आज भी कई तरह के भेदभाव झेलने पड़ रहे हैं, कई बार तो इन जनजातियों की पूरी की पूरी बस्तियाँ इसलिये जला दी गईं क्योंकि कोई भी इन जनजातियों को अपने गाँव या कस्बे के नज़दीक नहीं बसाना चाहता था।
- वदिति हो कि 2007 में बिहार के वैशाली ज़िले में नट जनजात के दस लोगों को भीड़ ने चोर होने के आरोप में पीट-पीट कर मार डाला था, इसी तरह सितंबर 2007 में मध्य प्रदेश के बैतूल ज़िले के चौथिया गाँव में पारधियों के 350 परिवारों के घर जलाकर राख कर दिये गए थे।

### क्या हो आगे का रास्ता?

- साल 2005 में तत्कालीन सरकार ने 'वसिक्त, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू जनजातियों' के लिये एक राष्ट्रीय आयोग (National Commission for Denotified, Nomadic and Semi-nomadic Tribes - NCDNT) का गठन किया था। इस आयोग के अध्यक्ष बालकृष्ण रेनके थे, 2008 में रेनके आयोग ने सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसमें इन जनजातियों के इतिहास से लेकर वर्तमान समय में इनकी चुनौतियों और उनसे निपटने के तरीकों पर विस्तार से चर्चा की गई थी।
- रेनके आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक, 'दुर्भाग्य से 'आपराधिक जनजात अधिनियम' के समाप्त होने के बाद भी इन जनजातियों को उसके दुष्परिणाम भुगतने पड़ रहे हैं। अंगरेज़ों द्वारा चलाई गई इस कुरीति के चलते आज भी समाज और पुलिस इन लोगों को शक और घृणा की ही नज़र से देखती है।
- रिपोर्ट में यह भी ज़िक्र है कि वसिक्त जनजात के लोगों के मामले में न्याय के मूलभूत नयिमें तक का उल्लंघन किया जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक, 'यह स्थापित सिद्धांत है कि जब तक कोई व्यक्ति दोषी साबित नहीं हो जाता उसे नरिदोष माना जाता है, साथ ही कोई भी व्यक्ति जन्म से अपराधी नहीं होता। लेकिन इन जनजातियों के मामलों में समाज और पुलिस, दोनों का नज़रिया ठीक उल्टा होता है।
- इस रिपोर्ट में अभ्यासिक अपराधी अधिनियम (Habitual offenders act) की भी बात की गई थी जो कि उचित भी था। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि अयंगर समिति ने भी 'आपराधिक जनजात अधिनियम' 1871 को नरिस्त करने की सिफारिश करते हुए कहा था कि अभ्यासिक अपराधी अधिनियम के दायरे में केवल कुछ चुनिन्दा जनजातियाँ ही नहीं, बल्कि सभी वर्गों के लोगों को शामिल किया जाना चाहिये। जहाँ रेनके आयोग की रिपोर्ट को 8 साल हो चुके हैं, वहीं अयंगर समिति की रिपोर्ट के 64 साल बाद भी न तो केंद्र सरकार और न ही राज्य सरकारों का इस ओर ध्यान गया है। अतः सरकारों को चाहिये कि दोनों समितियों द्वारा सुझाई गई कुछ महत्त्वपूर्ण बातों पर गौर करें और उन्हें अमल में लाएँ।

- 'वर्गिकृत, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू जनजातियों' के लिये राष्ट्रीय आयोग की रपौरट के हवाले से कहा गया है कऱ 'आज़ादी के बाद तत्कालीन आदवऱसऱरौ को अनुसूचऱतऱ जनजातऱ के रूड में वर्गीकृत कऱया गया, वहीँ अछूतौँ और दलऱतौँ को अनुसूचऱतऱ जातऱ के रूड में वर्गीकृत कऱया गया, और उसी आधऱर डर उनूँ वऱऱनऱनऱ सुवधऱरूँ डरदऱन करके मुखऱधऱरऱ में शऱमलऱ करने के डरऱसऱ डी कऱयऱ गए हैं। लेकनऱ आडरऱधकऱ जनजातऱ अधनऱडऱड' से डरऱवऱतऱ जनजातऱरौँ की कऱरूई खडर नही ली गई। अडरऱवऱदस्वरूड अडर कऱछ रऱजऱरौँ को छऱडकर अनऱड कऱसऱ डी रऱजऱड सरकऱर ने इनूँ कऱसऱ डी सूचऱी में शऱमलऱ नही कऱयऱ, डऱ डहुत ही चऱतऱजनक है। इस संडंड में केंदर सरकऱर को इनकी गणनऱ के लऱडऱ सुडुचऱतऱ डरऱसऱ करते हुए इनूँ डी अनुसूचऱतऱ जनजातऱरौँ की सूचऱी में शऱमलऱ करने के डरऱसऱ कऱयऱ जाने चऱहऱरौँ।

## नऱषऱकरष

- आडरऱधकऱ जनजातऱ अधनऱडऱड, 1871 से डीडऱतऱ उन जनजातऱरौँ डर इस कऱनून के खूड कऱ अंडऱडऱ इसी डऱत से लऱगऱया डऱ सऱकऱतऱ है कऱ इससे डरऱवऱतऱ जनजातऱरौँ 31 अगसूत को सुवतंतुरतऱ दऱवऱस कऱ अशून डनऱतऱी हैं कऱरूँकऱ 31 अगसूत, 1952 को ही इस अधनऱडऱड को नरऱसूत कऱयऱ गया थऱ। हडऱरऱ डऱरत वऱवऱधऱतऱरौँ कऱ देश है और डे जनजातऱरौँ हडऱरऱी वऱवऱधऱतऱ में रंग डरतऱी हैं। लेकनऱ हडऱरऱी वऱडरऱसूथऱ एवं हडऱरऱ सडऱज इनूँ लेकऱर डूरऱवऱगुरह से डरऱ है। डे जनजातऱरौँ डी सडूडऱनऱतऱ और गरडऱडऱड डीवन डी सऱकें, इसऱके लऱडऱ केंदर और रऱजऱरौँ को सऱडूहकऱ डरऱसऱ करने हूँगे।

PDF Referenece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/criminal-tribes-act-an-unfortunate-legacy>

